आर.ई.ओ–214

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई एण्ड टी डब्ल्यू)

क्र.जे.पी.डी / उपमु.अ.(आर.ई) / अ.अ (आर.ई.एण्ड टी डब्ल्यू) / प.1201 / प्रे 989 दिनांक 27.5.10

आदेश

विषय :– भविष्य में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में ।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 12(10) उर्जा /2006 दिनांक 25.05.2010 की अनुपालना में निम्न आदेश दिये जाते है।

1. भविष्य में जारी होने वाले सभी कृषि कनैक्शन हेतु आवेदक को ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटींग वाले इनर्जी एफीसियेन्ट पम्प सेट कृषि कनैक्शन जारी होने से पूर्व लगाना आवश्यक होगा।
2. कृषि कनैक्शन जारी होने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने बूंद बूंद सिचांई / स्प्रींकलर सिस्टम स्थापित कर लिया है।
3. आवेदक द्वारा दिया जाने वाला उपरोक्त प्रमाण पत्र कृषि विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।
4. इनर्जी एफीसियेन्ट पम्प सेट की जांचएवं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को अधिकृत किया जाता है ।
5. यदि उपभोक्ता कृषि कनैक्शन जारी होने के बाद बूंद बूंद सिंचाई / स्प्रींकलर सिस्टम का उपयोग करना बंद कर देता है तो उपभोक्ता का कृषि कनैक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा ।
6. यह आदेश गत वर्ष दिसम्बर.09 से पूर्व जारी किये गये मांग पत्रों पर लागू नही होगा।

27/5/2010

(ऐ.के. शर्मा)

उप मुख्य अभियंता (आर.ई)